न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 288/2019

1. गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– वादी

–:: बनाम ::–

1. सुखा सिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. जरिये शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी.(बैंक) शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता ––वादी
2. श्री मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता –– प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 13.08.2019

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादी व प्रतिवादी न. 1 व 2 एक ही हिन्दू (सिख) खान दान के सदस्य हैं। वादी का प्रतिवादी न. 1 सगा भतीजा है। एंव आपस में संयुक्त खातेदारान है।

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल जी डब्ल्यू बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 31/30 का प.न. 1/301 मु.न. 36 कि.न. 16 ता 19, 20/1/.126, 21/1/.127, 22 ता 25 की कुल 2.277 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1.518 है. व. हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल जी डब्ल्यू बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 30/29 का प.न. 0/294 मु.न. 8 कि.न. 11 ता 14, 16/1/.127, 17 ता 20 की कुल 2.151 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1.613 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

तहसील पीलीबंगा के चक 3 एस.जी.आर. मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 58/52 का प.न. 3/300 मु.न. 9 कि.न. 1 ता 10, 11/1/.139, 12/1/.139, 13/1/.139, 14/1/.139, 15/1/.139 की कुल 3.225 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी गुलाबसिंह के नाम 1.210 है. व प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह के नाम 1.210 है. नहरी मय गे. मु. खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

वादी गुलाबसिंह का प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह सगा भतीजा है। जो उक्त दावा की दफा 3 ता 5 में वर्णित अनुसार संयुक्त खातेदार व हिस्सेदारान है। जिन्होंने दावा की दफा 3 ता 5 में

Scanned by CamScanner

वर्णित उक्त कृषि भूमि का काश्त व पानी लगाने आदि की सुविधा के लिये व कृषि भूमि अच्छी मन्दी अनुसार आपसी सहमति से काफी लम्बे समय से धरू बटवारा निम्न प्रकार से किया हुआ है व निम्न प्रकार से वादी व प्रतिवादी न. 1 को कृषि भूमि के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल.जी.डब्ल्यू. बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 31/30 का प.न. 1/301 मु.न. 36 कि.न. 16 ता 19, 20/1/.126, 21/1/.127, 22 ता 25 की कुल 2.277 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम की 1.518 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह ने उक्त 1.518 है. में से अपना 1/2 हिस्सा को बंटवारा में अकेले वादी गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन खरलीयां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को दी है, जिससे खाता में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह का नाम हटाया जावे।

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल जी डब्ल्यू बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 30/29 का प.न. 0/294 मु.न. 8 कि.न. 11 ता 14, 16/1/.127, 17 ता 20 की कुल 2.151 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1.613 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसमें से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह ने उक्त 1.613 है. में से अपना 1/2 हिस्सा को बंटवारा में अकेले वादी गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन खरलीयां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को दी है, जिससे खाता में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह का नाम हटाया जावे।

तहसील पीलीबंगा के चक 3 एस.जी.आर. मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से चालू का खाता सं. 58/52 का प.न. 3/300 मु.न. 9 कि.न. 1 ता 10, 11/1/.139, 12/1/.139, 13/1/.139, 14/1/.139, 15/1/.139 की कुल 3.225 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी गुलाबसिंह के नाम 1.210 है. व प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह के नाम 1.210 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसमें से बंटवारा में वादी गुलाबसिंह ने अपना 1.210 है0 को प्रतिवादी सुखासिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख साकिन खरलीयां तहसील पीलीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान को दी है। जिससे खाता में से वादी गुलाबसिंह का नाम हटाया जावे।

दावा की दफा 6 क ता ग में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादी न. 1 ने अपनी उक्त कृषि भूमि का विनिमय काश्त व पानी लगाने आदि की सुविधा के साथ कृषि भूमि अच्छी मन्दी व रास्ता खाला की सुविधा के साथ किया हुआ है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी न 1 काबल काश्त चले आ रहे हैं व इसी प्रकार से कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के हकदार हैं जो की जाकर वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण न. 2 व 3 का उक्त कृषि भूमि के खाता में नाम अंकित होने से पक्षकार बनाया गया है ताकि दावा में नुकस ना रहे।

वादी ने पहले भी प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि दावा की दफा 2 ता 7 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण वादी की बात मानने से कई दिनों तक टाल मटोल करते रहे आखिरकार प्रतिवादीगण आज से 7 रोज पूर्व वादी की बात मानने से इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

दावा श्री मान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर नियाद व उचित कोर्ट फीस पर दो प्रतियों में पेश है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार कर दावा बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल.जी.डब्ल्यू. बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 31/30 का प.न. 1/301 मु.न. 36 कि.न . 16 ता 19, 20/1/.126, 21/1/.127, 22 ता 25 की कुल 2.277 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम की 1.518 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह ने अपना 1/2 हिस्सा को वादी गुलाबसिंह को बंटवारा में दी है जिससे उक्त 1.518 है. कृषि भूमि का अकेले वादी गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा

Scanned by CamScanner

की जाकर जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। एवं खाता में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह का नाम हटाया जावे।

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल जी डब्ल्यू बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 30 / 29 का प.न. 0 / 294 मु.न. 8 कि.न. 11 ता 14, 16 / 1 / .127, 17 ता 20 की कुल 2.151 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1.613 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता कृषि भूमि ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है. जिसमें से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह ने अपना उक्त 1 / 2 हिस्सा को वादी गुलाबसिंह को बंटवारा में दिया है जिससे उक्त 1.613 हैक्टर का वादी गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन खरलीया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। एवं खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखासिंह का नाम हटाया जावे।

तहसील पीलीबंगा के चक 3 एस.जी.आर. मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 से चालू का खाता सं. 33 / 32 का प.न. 3 / 300 मु.न. 9 कि.न. 1 ता 10, 11 / 1 / .139, 12 / 1 / .139, 13 / 1 / .139, 14 / 1 / .139, 15 / 11.139 की कुल 3.225 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी गुलाबसिंह के नाम 1.210 है. व प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह के नाम 1.210 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिस में से वादी गुलाबसिंह ने अपना उक्त हिस्सा की 1.210 है। को प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह को बंटवारा में दी है जिससे प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख साकिन खरलीया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को उक्त कुल 2.420 है. कृषि भूमि का मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। एवं खाता में से वादी गुलाबसिंह का नाम हटाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 16.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री मदनगोपाल मेहरडा अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नही होने देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है. जो निम्न प्रकार से है :-

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल जी डब्ल्यू बी मुताबिक जमाबन्दी सात 2074 से चालू का खाता सं 31 / 30 का प.न. 1 / 301 मु न. 36 कि.न. 16 ता 19, 20 / 1 / .126, 21 / 1 / .127, 22 ता 25 की कुल 2.277 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम की 1.518 है. ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह ने अपना 1 / 2 हिस्सा को वादी गुलाबसिंह को बंटवारा में दी है जिससे उक्त 1.518 है. कृषि भूमि का अकेले वादी गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख साकिन खरलीया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। एवं खाता में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह का नाम हटाया जावे।

तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल.जी.डब्ल्यू. बी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से चालू का खाता सं. 30 / 29 का प.न. 0 / 294 मु.न. 8 कि.न. 11 ता 14, 16 / 1 / .127, 17 ता 20 की कुल 2.151 है. नहरी मय गै. मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी न. 1 के नाम 1.613 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि ब. हिस्सा बराबर बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जिसमें प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह ने अपना उक्त 1 / 2

Scanned by CamScanner

हिस्सा को वादी गुलाबसिंह को बंटवारा में दिया है जिससे उक्त 1.613 है. का वादी गुलाबसिंह पुत्र हजूरसिंह जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। एंव खाता में से प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह का नाम हटाया जाये।

तहसील पीलीबंगा के चक 3 एस.जी.आर. मुताबिक जमावन्दी सम्वत 2072 से चालू का खाता सं. 58/52 का प.न. 3/300 मु.न. 9 कि.न. 1 ता 10, 11/1/.139, 12/1/.139, 13/1/.139, 14/1/.139, 15/1/.139 की कुल 3.225 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी गुलाबसिंह के नाम 1.210 है. व प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह के नाम 1.210 है. नहरी मय गै. मु. खाला रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसमें से वादी गुलाबसिंह ने अपना उक्त हिस्सा की 1.210 है, को प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह को बंटवारा में दी है जिससे प्रतिवादी न. 1 सुखासिंह पुत्र लाभसिंह जाति जटसिख साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को उक्त कुल 2.420 है. कृषि भूमि का मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे एंव खाता में से वादी गुलाबसिंह का नाम हटाया जावे।

यदि वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष में उक्त राजीनामा अपने पूर्ण होश हवास व सहमति से बिना किसी दवाव व वहकाव के लिखवा दिया है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 15 एल.जी.डब्ल्यू. बी के खाता सं. 31/30, प.न. 1/301, मु.न. 36, कि.न. 16 ता 19, 20/1/.126. 21/1/.127, 22 ता 25 की कुल 2.277 है. भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.518 है. बहिस्सा बराबर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखासिंह का नाम कलमजन कर वादी गुलाबसिंह को तथा इसी चक के खाता सं. 30/29 का प.न. 0/294 मु.न. 8 कि.न. 11 ता 14, 16/1/.127, 17 ता 20 की कुल 2.151 है. भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.613 है. बहिस्सा बराबर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुखासिंह का नाम कलमजन कर वादी गुलाबसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा चक 3 एस.जी.आर. के खाता सं. 58/52 के प.न. 3/300, मु.न. 9, कि.न. 1 ता 10, 11/1/.139, 12/1/.139, 13/1/.139, 14/1/.139, 15/1/.139 की कुल 3.225 है. भूमि में से वादी गुलाबसिंह के नाम दर्ज 1.210 है. भूमि से गुलाबसिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 सुखासिंह को खातेदार घोषित किया जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक **13.08.2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner